कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर म.प्र.

क्रमांक/ 828 /स्थापना/2019 अलीराजपुर दिनांक 23/02/2019

// विज्ञप्ति //

म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2/10/2012/सात/4ए दिनांक 09-08-2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 980/2-10/2012/सात 4ए दिनांक 18-08-2017 के तारतम्य में कार्यालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसील कार्यालय में लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संविदा आधार पर कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर 22770/- प्रतिमाह मानदेय से नियोजित हेतु निम्नानुसार शर्तो के अधीन नियुक्ति किये जाने बाबत विज्ञप्ति प्रसारित है:-

सविंदा पद का नाम	मानदेय	रिक्त पद की संख्या (अनुसूचित जनजाति सवंर्ग हेतु आरक्षित)		
		महिला	ओपन	
			भूतपूर्व सैनिक	ओपन
कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	22770/- बाइस हजार सात सौ सत्तर प्रतिमाह मानदेय	02	01	01

टिप्पणी:-

1. निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय जिला अलीराजपुर की के नाम संबोधित होना चाहिये।
2. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भिजवा सकते है, जो अंतिम तिथि 02-03-2019 को सायं 5.30 बजे तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा। डाक से विलंब से प्राप्त होने पर इस कार्यालय की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले तथा निर्धारित प्रारूप में आवेदन न होने पर एवं अपूर्ण पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप, संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें, एवं अन्य आवश्यक शर्तें, आयु, मानदेय/पारिश्रामिक एवं अवकाश, ई0पी0एफ0 कटोत्रा एवं विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट WWW.ALIRAJPUR.NIC.IN पर उपलब्ध है।
4. विवाद एंव अन्य स्थिति में कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम रहेगा।

(शमीम उद्दीन)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर दिनांक 23/2/2019

पृ.क्रमांक/ 829 /2019

प्रतिलिपिः-

1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश-शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग भोपाल।
2- सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
4- प्रभारी अधिकारी वित-2 (जिला नाजिर) कलेक्टोरेट, अलीराजपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5- जिला विज्ञान एवं सूचना केन्द्र अधिकारी अलीराजपुर/ प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी की ओर भेजकर निर्देषित किया जाता है उक्त विज्ञप्ति की जिला की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिष्चित करें।
6- जन संपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर की ओर भेजकर निर्देषित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाषित करना सुनिष्चित करे।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञप्ति जिले की वेबसाईट WWW.ALIRAJPUR.NIC.IN पर शर्तो के अधीन जारी की जा रही है , जो निम्नानुसार है:-

संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्ते

1- प्रथम संविदा अवधि एक वर्ष के लिए होगी। वर्षान्त पर कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के आधार पर उपर्युक्त होने पर एक वर्ष के लिए पुनः सेवावृद्धि पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस तरह संविदा नियुक्ति में 02 बार वृद्धि की जा सकेगी। अर्थात कुल संविदा कलु 03 वर्ष के लिए होगी।

2- संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगी।

3- दिनांक 01-01-2019 को आयु 21 से 35 वर्ष तक (शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल/से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 05 वर्ष की छूट अंकित की गई है।

4- संविदा नियुक्ति के दौरान पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समापत की जा सकेगी।

आयु सीमा-

1 समस्त उम्मीद्वारों की आयु शासन निर्देशानुसार निर्धारित आयु अनुसार रहेगी।

शैक्षणिक योग्यता

1. न्यूनतम तकनीकी योग्यता सी0पी0सी0टी0 परीक्षा उत्तीण
2. 12वी कक्षा उत्तीर्ण ।
3. कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य का हिन्दी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की दक्षता ।
4. एक वर्ष का यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविघालय द्वारा कम्प्युटर प्रमाण पत्र
5. डाटा फिंडिग के कार्य की जानकारी ।
6. दस्तावेजों की स्केनिंग।

मानदेय/पारिश्रामिक

1 संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन 22770/- मात्र देय होगी।

2 संविदा नियुक्ति के दौरान शासकी आवास गृह की पात्रता नहीं होगी।

3 यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसे किसी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी की होती है।

अवकाश

1 संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को नियमानुसार 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

2 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमानुसार 01 वर्ष में 15 दिन के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा अवकाश न लिये जाने की स्थिति में इसे आगामी वर्ष में नहीं जोड़ा जायेगा।

3 संविदा पर नियुक्त महिला को नियमानुसार 90 दिन के प्रसूति अवकाश के मानदेय की राशि सहित पात्रता होगी। प्रसूति अवकाश में पात्रता 02 जीवित संतानों तक ही सीमित होगी। प्रसूति संबंधी गंभीर चिकित्सकीय आवश्यकताओं हेतु महिला संविदा कर्मियों को 90 दिन का बिना मानदेय के अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। स्वीकृति का अधिकार जिला कलेक्टर को होगा।

4 सभी प्रकार के अवकाश का उपभोग जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति से किया जाएगा। बिना अवकाश स्वीकृति के/अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति अवधि का मानेदय नहीं मिलेगा।

ई.पी.एफ. कटोत्राः-

1 ई.पी.एफ. कटौत्रा के संबध में ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधन लागू होगें।

2 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) की पूर्व अनुमति/ निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को कोई भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

3 कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार/व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

4 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय-समय पर सौंपे गए अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होगें।

5 नियुक्ति पत्र में दर्शायी तिथि तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश कर्मचारी के लिए निरस्त माना जायेगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व कलेक्टर द्वारा एक माह के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

7. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का मानदेय नगद जमा कर संविदा सेवा से त्याग पत्र दे सकता है।

8 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। जिससे उनको कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन हो सके। गोपनीय प्रतिवेदन एवं कार्य मूल्यांकन के आधार आगामी वर्ष हेतु नियुक्ति पर विचार किया जावेगा।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होगा।

Scanned by CamScanner

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
जिला अलीराजपुर

आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

विषयः- कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पदपूर्ति के संबध में।

1 आवेदक का पूरा नाम ....

2 पुरुष/महिला ....

3 पिता/पति का नाम ....

4 वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)..
.... **शहर का नाम**...

फोन नं0............................**मोबाईल नं0**............................ **ई-मेल आईडी**...

5 स्थाई पता :..
....**शहर का नाम**..

फोन नं0.. **मोबाईल नं0**...

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)..

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करे)..

8. दिनांक 01-01-2019 को आवेदक की आयु..........................**दिन**............... **माह**.................. **वर्ष**

9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति - विवाहित/अविवाहित

10. विवाह का दिनांक -

11. वर्ग - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विकलांग...**(आरक्षित श्रेणी हेतु द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलंग्न करे)**

12 स्वाशासी महाविद्यालय में सेवारत - हां/नहीं

13 शैक्षणिक योग्यताः

Scanned by CamScanner

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक
1.	हायर सेकेंडरी (10+2)				
2.	हाई स्कूल				
3.					
4					

14. मध्यप्रदेश का मूल निवासी (हां/नहीं) ....(प्रमाण पत्र संलग्न)

15. अनुभव.. (प्रमाण पत्र संलग्न)

16. संलग्न् प्रमाण पत्र की सूची

दिनांक : ....

स्थान : ....

आवेदक के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

:: घोषणा पत्र ::

1. मैं प्रमाणित करता/कुरती हूँ कि उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है, वह पूर्णतः सत्य है एवं जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र /नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

2 मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही विरूद्ध इस प्रकार कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

Scanned by CamScanner